I 2033/2020

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 707944

- 5 FEB 2020

प्रथमपक्ष

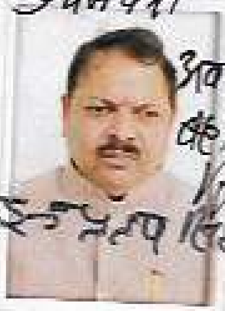

द्वितीयपक्ष

CHECKED

लीज डीड

स्टाम्प -	:	01 वर्ष के लाभान्स का 06 गुना-72000/-रुपया 1440/-रुपया
अवधि	:	30 वर्ष (दिनांक 19.02.2020 से 18.02.2050 तक)
सम्पत्ति	:	1497मि. रकबा 0.4060हे0 (4060 वर्गमीटर) व 1497मि. रकबा 0.1520हे.(1520 वर्गमीटर) व 1497स रकबा 0.2780हे. (2780 वर्गमीटर)
ग्राम-	:	कठवारा
परगना-	:	सदर रायबरेली
जिला-	:	रायबरेली

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 097341

4 SEP 2019

-2-

चौहद्दी :

गाटा संख्या-1497मि./0.4060हे. (4060 वर्गमीटर)-

पूरब- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली
पश्चिम-भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली
उत्तर- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली
दक्षिण- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली

1497मि. रकबा 0.1520हे.(1520 वर्गमीटर)-

पूरब- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली
पश्चिम- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली
उत्तर- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली
दक्षिण- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष | हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4 SEP 2019 FA 097342

-3-

1497स रकबा 0.2780हे. (2780 वर्गमीटर)-

पूरब- खेत रिजवान

पश्चिम- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली

उत्तर- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली

दक्षिण- भूमि श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली

प्रथमपक्ष (लीज डीड दाता)- : श्री महावीर सिंह स्मारक महाविद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली द्वारा प्रबन्धक श्री अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व0 महावीर सिंह निवासी पंचवटी 521 सिविल लाइन रायबरेली।

आधार नम्बर-2661 7712 6183

पैन नम्बर- AUYPS3757J

मो0नं0-9838076493 व्यवसाय-कृषि

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   FA 097343

-4 SEP 2019

द्वितीय पक्ष (लीज डीड ग्रहीता)- : श्री महावीर सिंह जन कल्याण सेवा संस्थान हरचन्दपुर रायबरेली द्वारा प्रबन्धक श्री अवधेश बहादुर सिंह पुत्र स्व0 महावीर सिंह निवासी पंचवटी 521 सिविल लाइन रायबरेली।
आधार नम्बर-2661 7712 6183
पैन नम्बर- AUYPS3757J
मो0नं0-9838076493 व्यवसाय-कृषि

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष   हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FA 097344

- 4 SEP 2019

जो कि प्रथमपक्ष पक्ष गाटा संख्या-1497मि. रकबा 0.4060हे0 (4060 वर्गमीटर) व 1497मि. रकबा 0.1520हे.(1520 वर्गमीटर) व 1497स रकबा 0.2780हे. (2780 वर्गमीटर) वाके मौजा कठवारा परगना व तहसील व जिला रायबरेली जरिये बैनामा क्रमशः दिनांक-30.08.2010 व 08.02.2011 व 02.12.2009 दस्तावेज नं0- क्रमशः 5068 व 740 व 5619 के द्वारा मालिक काबिज हैं जो तवाम वारो से पाक व साफ है जिसे मुकिर को हर तरह से मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जो कि उपरोक्त आराजी कुल रकबा 0.8360हे0 (8360 वर्गमीटर) का डीड प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य आज दिनांक-19.02.2020ई. को दिनांक-19.02.2020 से 18.02.2050 तक के लिए तकमीर की जा रही है। जिसकी शर्तें निम्न हैं-

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 105545

1. यह कि 1000/-रुपया मासिक की दर से 30 वर्ष से लाभांश मुबलिग-3,60,000/-रुपया होगा जो प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से सम्पूर्ण 30 वर्ष का लाभांश प्रीमियम एकमुश्त मुबलिग-3,60,000/-रुपये उपरोक्त लाभांश प्रथमपक्ष व समिति के सभी सदस्यों को सहज स्वीकार है। लाभांश प्रीमियम एकमुश्त मुबलिग-3,60,000/-रुपया द्वितीयपक्ष को संयुक्त रूप से पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अदा कर दिया गया है।
2. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यों को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिये तैयार है। आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों की सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य जो शर्तें हुई हैं उनको लिपिबद्ध किया जा रहा है। ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 105546

3. यह कि दोनों पक्ष संपत्ति हस्तान्तरण एक्ट 1882 (Trasnfer of Property Act 1882) अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये जायेंगे उनमें लीज हेतु निहित सभी प्रावधानों का पालन करेंगे।
4. यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ में कोई विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज पर देने अथवा लेने के लिए बाधक हो।
5. यह कि यह लीज दिनांक 19.02.2020 से 30 वर्षों हेतु परिवर्तनीय है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को आगे की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते हैं।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

6. यह कि उक्त भूमि पर लीज की तिथि से पूर्व एवं लीज के दिनांक तक किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा व्यक्ति से वित्तीय देनदारियाँ शेष नहीं हैं। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है पाक-साफ है।
7. यह कि द्वितीयपक्ष (लीज ग्रहीता) को इस भूमि/भवन को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान के भवन का निर्माण अथवा निर्मित भवन में परिवर्तन कराकर सभी सम्बन्धित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन /सम्बद्धता प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।
9. यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि पर सेवा संस्थान संचालन के क्रम में भवन निर्माण एवं सेवा संस्थान विधिक हेतु सभी विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।
10. यह कि द्वितीयपक्ष लीज की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त समपत्ति से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।
11. यह कि आवश्यकतानुसार यदि द्वितीयपक्ष को किसी भी विधिक, सरकारी कार्य हेतु स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है तो प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा।

इस वास्ते प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को यह लीज डीड अपनी राजी खुशी व सही होश हवास में व खूब सोच समझकर पढ़ सुनकर कतई तहरीर कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। विदित हो कि दिनांक 19.02.2020ई. के पूर्व प्रथमपक्ष ने **मौजा कठवारा** परगना व तहसील व जिला रायबरेली की गाटा संख्या-1497मि. रकबा 0.4060है0 (4060 वर्गमीटर) व 1497मि. रकबा 0.1520हे. (1520 वर्गमीटर) व 1497स रकबा 0.2780हे. (2780 वर्गमीटर) पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है। पक्षकरों के इच्छानुसार लेखक

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष	हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

द्वारा पक्षकारों की फोटो प्रमाणित रूबरू गवाहान के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। उक्त प्रलेख के कम्प्यूटर प्रणाली लागू होने के कारण पक्षकारों के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाइप कराकर तैयार किया गया है। विदित हो कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष व गवाहान के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

दिनांक-19 फरवरी, सन् 2020ई.
(टंकणकर्ता)
जितेन्द्र शर्मा

साक्षी-1
इन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी ग्राम चिलौली परगना हरदोई तहसील महराजगंज जिला रायबरेली।
आधार नम्बर-7140 0936 1997
मो0नं0-9451607298 व्यवसाय-कृषि

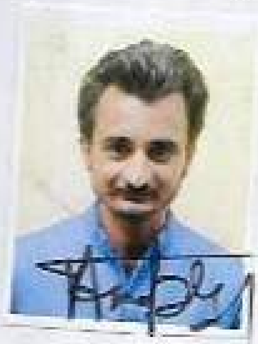

साक्षी-2
अनूप सिंह पुत्र ~~स्व0~~ जसवन्त सिंह निवासी ग्राम गूलूपुर परगना व तहसील व जिला रायबरेली।
पहचान पत्र (जिला पंचायत) क्रमांक-190/ZPRBL/2019
मो0नं0-9161174747 व्यवसाय-नौकरी